

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 14.08.2017

क्रमांक एफ-1-38/2017/सात-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित पटवारियों को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

स.क्र.	पटवारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री रामानन्द अग्रवाल	प.ह.नं. 6, तहसील रामानुजनगर	उप तहसील पिल्खा जला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	सुश्री अनिता सिंह	तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	तहसील व जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय से
3.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	प.ह.नं. 30, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	उप तहसील पिल्खा, जिला सूरजपुर	प्रशासनिक
4.	श्री कृष्णा प्रसाद सिंह	उप तह. पिल्खा, जिला सूरजपुर	तह. प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	प्रशासनिक
5.	श्री प्रभुनारायण सिंह	प.ह.नं. 17, तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर	तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	प्रशासनिक
6.	श्री विजेन्द्र सिंह	प.ह.नं. 18, तहसील ओड़गी, जिला सूरजपुर	तहसील व जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
7.	श्री विनोद सिंह	प.ह.नं. 16, तहसील ओड़गी, जिला सूरजपुर	उत तहसील पिल्खा, तह व जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
8.	श्री हेम प्रसाद	प.ह.नं. 28, रा.नि.मं. ओड़गी, जिला सूरजपुर	तहसील व जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
9.	श्री टीकन कुमार राजवाड़े	प.ह.नं. 21, तहसील ओड़गी जिला सूरजपुर	तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर

//2//

10.	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	प.ह.नं. 19, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	उप तह. पिल्खा, जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
11.	दीपिका रोशनी एक्का	प्रेमनगर, जिला सूरजपुर	तहसील व जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
12.	श्री अभय पाल सिंह	प.ह.नं. 13, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा	तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
13.	श्री संजय ठाकुर	प.ह.नं. 14, तहसील धौरपुर, जिला-सरगुजा	तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
14.	श्री राजनन्दन राजवाड़े	प.ह.नं. 16, तह. अम्बिकापुर जिला सरगुजा	तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
15.	श्री अफताव अहमद	प.ह.नं. 35, तह. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	तहसील मैनपाट, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
16.	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा	प.ह.नं. 13, तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा	तह. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
17.	श्री दिनेश गुप्ता	प.ह.नं. 8, तहसील मैनपाट, जिला सरगुजा	तहसील बतौली, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
18.	श्री नरेश कुमार मौर्य	तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा	तह.अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
19.	श्री देवलाल मिंज	तहसील लुण्ड्रा जिला सरगुजा	तह. मैनपाट, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
20.	श्री प्रदीप कुमार यादव	तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा	तह अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
21.	सुश्री दामिनी गुप्ता	तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा	तह. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
22.	श्री विशाल अग्रवाल	प.ह.नं. 42, तह. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	प.ह.नं. 7, परसा भकुरा, तह. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर

निरंतर 3



23.	श्री मनीष श्रीवास्तव	प.ह.नं 7, तह. अम्बिकापुर जिला सरगुजा	तह.अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (विकल्प पर)	प्रशासनिक
24.	श्री राजीव श्रीवास	रा.निमं. दरिमा, जिला सरगुजा	तह. अंबिकापुर, जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय पर
25.	हेमलता श्रीवास	प.ह.नं. 24, लखनपुर, जिला सरगुजा	तहसील बतौली, जिला सरगुजा	प्रशासनिक
26.	श्री टीकम सिंह मण्डावी	मदेड, तहसील बीजापुर	उसूर, जिला बीजापुर	

2/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/ उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल/ जिला में पदस्थ न हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

4/ यदि किसी तहसील में स्थानांतरण के फलस्वरूप पद रिक्त न हो तो कार्यालय प्रमुख किसी अन्य पटवारी को ऐसे स्थान पर पदस्थ करेंगे, जहां पर पद रिक्त हो।

5/ संबंधित कर्मचारी उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यथित हो, तो वह जारी आदेश तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

6/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एन.आर..साहू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

निरंतर 4

// 4 //

पृ.क्रमांक एफ-1-32 / 2017 / सात-2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 14.08.2017

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
5. समस्त कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला- (छ.ग.)
6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा कलेक्टर, जिला (छ.ग.) की ओर पालनार्थ ।
8. राजस्व विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. आदेश फोल्डर


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग